राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

NHB (ND)/DRS/ Pol-No. 56/2012-13
June 24, 2013

All Registered Housing Finance Companies (HFCs)

Dear Sirs,

Advances Guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing - Risk Weights and Provisioning

The Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India has set up the Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing(hereinafter referred as 'Credit Risk Guarantee Fund Trust') vide their Notification No.O-17034/122/2009-H dated June 21, 2012. On the issue of assignment of appropriate risk weight for loans guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust' and prescription of requisite provisioning norms for such loans on the lines prescribed by the Reserve Bank of India to Scheduled Commercial Banks, it has been decided as under:

i) Risk weight
HFCs may assign zero risk weight for the guaranteed portion. The balance outstanding loan in excess of the guaranteed portion would attract a risk-weight as appropriate to the counter-party.

ii) Provisioning
In case the loan covered by 'Credit Risk Guarantee Fund Trust' guarantee becomes non-performing, no provision need be made towards the guaranteed portion. The amount outstanding in excess of the guaranteed portion should be provided for as per the extant guidelines on provisioning for non-performing assets.

Yours faithfully,

(R.S. Garg)
Executive Director

भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष नं. पी. बी. एक्स-011-2464 9031-35 फैक्स : 011-2464 6988, 2464 9041
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in तार निवास बैंक

Wholly owned by Reserve Bank of India
Core 5-A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : PBX 011-2464 9031-35 Fax : 011-2464 6988, 2464 9041
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in Gram : NIWAS Bank

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति सं. 56/2012-13
24 जून, 2013

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी'ज)

महोदय,

निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटीकृत अग्रिम – जोखिम भार और प्रावधान

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (यहां इसके बाद 'ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास' के रूप में संदर्भित) की स्थापना की है, उनकी अधिसूचना सं. ओ-17034/122/2009-एच दिनांकित 21 जून, 2012 देखें। ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास द्वारा ऋणों हेतु गारंटीकृत उपयुक्त जोखिम भार के समनुदेशन के मामले पर और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे ऋणों हेतु अपेक्षित प्रावधानीकरण मानदंडों के निर्धारण के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

(i) जोखिम भार

आ.वि. कंपनियां गारंटीकृत अंश हेतु शून्य ऋण भार निर्धारित कर सकती हैं। गारंटीकृत अंश के अतिरिक्त शेष बकाया ऋण पर प्रति-पक्ष के लिये यथा उपयुक्त जोखिम-भार लागू होगा।

(ii) प्रावधानीकरण

यदि 'ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास' द्वारा रक्षित ऋण के मामले में गारंटी अनर्जक हो जाती है, गारंटीकृत अंश के लिये कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। गारंटीकृत अंश के अतिरिक्त बकाया राशि की व्यवस्था अनर्जक आस्तियों के लिये प्रावधानीकरण पर वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

भवदीय,

रा.स.गर्ग

(आर.एस.गर्ग)
कार्यपालक निदेशक